पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 125 / 2026

1. हरभगवानसिह पुत्र जसवन्तसिह
2. नक्षत्रसिह पुत्र जसवन्तसिह

जाति जटसिख निवासीयान सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

1. रणधीरसिह पुत्र सरजीतसिह
2. जगसीरसिह पुत्र सरजीतसिह

जाति जटसिख निवासीयान सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— क. वादीगण संख्या—01 हरभगवान सिंह व वादी संख्या—2 नक्षत्र सिंह को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी—चक नं0 8 एस.एल.डब्ल्यु. के जमाबंदी सम्वत् 2075—78 के खाता संख्या—85 / 72 में कुल अंकित 7.590 है0 नहरी मय गै0मु0 भूमि में प्रतिवादीगण संख्या—01 रणधीर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह कौर के 801 / 10120 हिस्सा में से 0.496 है0 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या—2 जगसीर सिंह पुत्र गुरदीप कौर के 801 / 10120 हिस्सा तथा जगसीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह के 211 / 5060 हिस्सा की आराजी

ख. प्रतिवादी संख्या—1 रणधीर सिंह व प्रतिवादी सख्या—2 जगसीर सिंह को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी चक 4 एन.डी.आर. के खाता संख्या—84 / 41 में अंकित कुल 7.8950 है0 कमाण्ड, अनकमाण्ड आराजी में वादी संख्या—1 व 2 प्रत्येक का 706 / 7895 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक 8 एस.एल.डब्ल्यु. जमाबंदी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या—85 / 72 में रणधीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम दर्ज 59 / 1518 हिस्सा को यथावत् रखते हुए रणधीर पुत्र गुरदीप कौर के शेष बचे हिस्से को समायोजित कर शुद्ध प्रविष्टि रणधीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम 0.3997 है0 हिस्सा एकल कर रणधीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम दर्ज किया जावे तथा चक नम्बर 4 एन.डी.आर. के खाता संख्या—84 / 41 में वादी संख्या—1 हरभगवान सिंह व वादी संख्या—2 नक्षत्र सिंह का नाम व चक 8 एस.एल.डब्ल्यु. खाता संख्या—85 / 72 में जगसीर सिंह पुत्र गुरदीप कौर व जगसीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।